कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
खण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843 **E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com**

पत्रांक 806 /चार–प्रावि0/वनभूमि पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2023–24, दिनांक 29 /09/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज–18 के अन्तर्गत नन्दकेशरी–ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 8.00 से देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.964 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– 1:–भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0/06/41/2017/एफ0सी0/1782, दिनांक–26.11.2018
2:–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2140/FP/UK /ROAD /20189/2016, दिनांक 18.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा नन्दकेशरी–ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 08 से देवसारी मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 716, दिनांक 16.12.2029 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

अवगत कराना है, उक्त अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड द्वारा अपने उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रेषित की गई थी। जिस पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0 पी0/06/15/2018/एफ0सी0/2911, दि0 13.03.2020 द्वारा निम्नानुसार कतिपय कमियां इंगित की गई है।

क्र0स0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या
1	It is seen that CA area has now been changed from civil land to Degraded Forest Land. As per DSS analysis, 8 ha area found in MDF and area falls in rare forest type. State Government may change the CA area and submit the revised digital map, Sol toposheet, KML File, CA Scheme and CA site suitability certificate and mention the density of the area.	उक्त बिन्दु प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है। उक्त सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के पत्रांक मान0/1016/12–1 गोपेश्वर, दिनांक 19.08.2023 द्वारा आख्या प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ को प्रेषित की जा चुकी है (पत्र संलग्न है)।
2	राज्य सरकार इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.10.2018 का उत्तर भी प्रेषित करें।	अवगत कराना है, कि उक्त सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 66/चार–प्रावि0, दिनांक 21–05–2020 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः छायाप्रति संलग्न है।

क्रमश.....2

Scanned with CamScanner

अतः उक्तानुसार इंगित कमियों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।

2:– अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर (मु0गौचर)।

3:– इं0 सचिन कुमार सहायक अभियन्ता, (नोडल फोरेस्ट प्रकरण)/सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/श्री प्रदीप पंवार/श्री नवीन जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 उपखण्ड कर्णप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप स्वयं प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड कर्णप्रयाग।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः—मान0 / 1016 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 19/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज—18 के अन्तर्गत नन्दकेशरी—ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 8.00 से देवसारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.964 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः— अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0), खण्ड कर्णप्रयाग के कार्यालय की पत्र संख्या 429/चार—प्रावि0/वनभूमि पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2023—24, दिनांक 27—07—2023।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0), खण्ड कर्णप्रयाग ने उनके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि उक्त विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आपके प्रभाग से भारत सरकार को प्रेषित की गई है, जिसके सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारापेण हेतु 11.928 है0 अवनत वन भूमि केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के मल्ला कालीफाट II कक्ष सं0 7 में प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/41/2017/एफ0सी0/1782, दिनांक 26.11.2018 द्वारा जारी EDS से अवगत कराया गया है कि - It is seen that CA area has now been changed from Civil Land to Degraded Forest Land. As per DSS analysis, 8 hac area found in MDF and area falls in rare forest type. State Government may change the CA area and submit the revised Digital Map, SoI Toposheet, KML File, CA Scheme and CA Site suitability certificate and mention the density of the area.

उक्त EDS के निराकरण के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0), खण्ड कर्णप्रयाग ने उनके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र से अनुरोध किया है कि केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग के अन्तर्गत उक्त परियोजना के सापेक्ष चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का संशोधित कार्ययोजना तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता प्रमाण पत्र जिसमे वर्तमान घनत्व का प्रमाण भी हो, आपके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0), खण्ड कर्णप्रयाग के अनुरोध पर वन क्षेत्राधिकारी, ऊखीमठ रेंज से आख्या मांगे जाने पर उन्होने वृक्षारोपण क्षेत्र का दिनांक 13.08.2023 को स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मल्ला कालीफाट II कक्ष सं0 7 के 10.80 है0 क्षेत्र में मोरू, अंगू, पांगर वृक्षों के साथ—साथ घिन्नू, घिंघारू प्रजाति की स्थानीय झाडी प्रजातियां विद्यमान है। उक्त क्षेत्र का छत्र घनत्व 0.4 से कम है, तथा चयनित वृक्षारोपण क्षेत्र रोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है। इस क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में वर्ष 2020—21 में अग्रिम मृदा कार्य एवं वर्ष 2021—22 में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के अनुसार स्थानीय प्रजातियों (मोरू 780, अखरोट 300, देवदार 1700, पांगर 4000, पापडी 100 एवं रिंगाल 5000) की 1100 पौध प्रति है0 के हिसाब से कुल 11,880 पौधों का रोपण किया गया है, तथा वर्तमान समय में वृक्षारोपण में रोपित पौधों की सफलता 85.10 % है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही करे

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

बैजी. सँ. 1437
फाइल सँ. 12-1
दिनांक 19/8/2023
बद्रीनाथ वन प्रभाग

Scanned with CamScanner

वृक्षारोपण क्षेत्र का Digital Map, Soil Toposheet, KML File एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्र सं0 1595/12-1, दिनांक 24.09.2022 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित की जा चुकी है। वृक्षारोपण कार्य का CA Scheme/प्राकलन की प्रति सलंग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या / दिनाँकित

प्रतिलिपिः- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0), खण्ड कर्णप्रयाग को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

प्राप्त
17/8/2023

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, ऊखीमठ वन क्षेत्र (गुप्तकाशी)

पत्रांकः– 133 /12 गुप्तकाशी, दिनांक, 17 अगस्त, 2023

सेवा में,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी महोदय,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

द्वाराः– उचित माध्यम।

विषयः– मल्ला कालीफाट II कक्ष सं0 7 में वर्ष 2021–22 में क्षतिपूरक योजना के तहत निर्मित वृक्षारोपण क्षेत्र की रोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 815/12–1 दिनांक 09.08.2023।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित विषयक पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 13.08.2023 को वृक्षारोपण स्थल पर जाकर के0एम0एल फाईल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के कुछ स्थानों में मोरू अंगू पांगर वृक्षों के साथ साथ धिन्नू धिंगारू प्रजाति की स्थानीय झाड़ी प्रजातियां विद्यमान हैं उक्त क्षेत्र का घनत्व 0.40 से कम है। वृक्षारोपण करते समय झाड़ियों की सफाई की गयी है। जिसके उपरान्त इस क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के अनुसार स्थानीय प्रजातियों (मोरू 780, अखरोट 300, देवदार 1700, पांगर 4000, पापड़ी 100 एवं रिंगाल 5000) की 1100 पौध प्रति हैक्टेयर के अनुसार वर्ष 2021 में पौध रोपण कार्य किया गया। अतः मल्ला कालीफाट II कक्ष सं0 7 के जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है वह वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त था। वर्तमान में वनीकरण की सफलता प्रतिशत 85.10 % है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(पंकज ध्यानी)
वन क्षेत्राधिकारी,
ऊखीमठ राजि।

सेवा/मानचित्रकार
18/8/23

प्राक्कलन बाबत :–जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज 18 के अन्तर्गत नन्दकेशरी –ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 8.00 से देवसारी मोटर के निमार्ण हेतु 5.964 है0 वन भूमि के सापेक्ष दोगुने चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मल्ला कालीफाफट **II** कक्ष सं0 07 में 11.928 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

रेंज– ऊखीमठ राजि। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

1– अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Rate per	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वृक्षारोपण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य करना	11.928	है0	186.00	प्रति है0	2218.61
2	स्थल की झाडी कटान आदि कार्य रोपण से पूर्व–	11.928	है0	6133.00	प्रति है0	73154.42
3	गड्डे खुदान कार्य करना (.30×.30×.45से.मी.)	13121	गड्डे	11.47	प्रति गडढा	150497.87
4	दीवालबन्दी कार्य पर ब्यय	11.928	है0	52812.00	प्रति है0	629941.54
5	कन्टूर नाली 0.50 X 0.30 मी0 रेखांकन	2385.60	मी0	25.00	प्रति 20 मी0	2982.00
6	कन्टूर नाली खोदना 0.50 X 0.30 मी0	357.84	घ0 मी0	181.00	प्रति घन मी0	64769.04
7	निरीक्षण बटिया बनाना	11.928	है0	1500.00	प्रति है0	17892.00
8	हथियार फाटोग्राफी वृक्षारापण पंजिका व अन्य विविध ब्यय	11.928	है0	1265.00	प्रति है0	15088.92
						956544.40
9	ऊंचाई वृद्धि (+) 10%	–	–	–		95654.44
	योग					1052198.84
10	12.5 प्रतिशत ठेकेदार का लाभांश एवं 1 प्रतिशत लेबल सेस– कुल 13.5 प्रतिशत					142046.84
11	अभिनियंत्रण व जल संरक्षण कार्य।	11.928	सं0	13000.00	प्रति	155064.00
12	डी0ए0 पी0 खाद 25 ग्राम /गड्ढा	11.928	है0	1183.00	प्रति है0	14110.82
13	घास उगाने पर ब्यय 1000/. है0	11.928	है0	1690.00	प्रति है0	20158.32
14	पौधे की कीमत प्रथम वर्ष	13121	पौध	11.00	प्रति	144331.00
	कुल योगः–(प्रथम वर्ष)					1527909.82

Scanned with CamScanner

2–वृक्षारोपण कार्य द्वितीय वर्ष

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	An..
1	2	6	7	8	9	11
1	गड्डे भरान कार्य करना (.30×.30×.45से.मी.)	13121	गड्डे	2.18	प्रति पौध	28603.78
2	कन्टूर नाली भरान 20 X 0.50 X 0.30 मी0	2386	मी0	58.00	प्रति 20 मी	6918.24
3	पौध का रोपण गडढों में अच्छी प्रकार दबाना, आवश्यकतानुसार थावंला बनाना, ढाल सही बनाना,पौधारोपण क्षेत्र के भीतर ढुलान सहित	13121	पौध	4.26	प्रति पौध	55895.46
4	रोपण के पश्चात प्रथम गुडाई करना	13121	पौध	2.91	प्रति पौध	38182.11
5	प्राकृतिक पुनरोत्पादन, सिडलिंग, लौपिंग, कल्चर कार्य।	1178	पौध	5.13	प्रति पौध	6043.14
6	रोपण उपरान्त पुनः झाडी कटान	11.928	है0	2911	प्रति है0	34722.41
7	घास की स्लिप लगाना 1000 /है0	11.928	स्लिप	890	प्रति	10615.92
8	कन्टूर नालियों में यूरिया खाद डालना	2385.60	मी0	1.79	प्रति मी0	4270.22
						185251.28
9	10 प्रतिशत ऊंचाई वृद्धि					18525.13
10	पौध ढुलान कार्य पर व्यय	13121	पौध	16.00	प्रति पौध	209936.00
						413712.41
11	12.5 प्रतिशत ठेकेदार का लाभांश एवं 1 प्रतिशत लेबल सेस– कुल 13.5 प्रतिशत					55851.18
12	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक(8 माह)	11.928	श्रमिक	915.20	प्रति माह	87332.04
13	अन्य व्यय अस्थाई श्रमिक हट कण्डी रस्सी औजार आदि पर व्यय	11.928		3500.00		41748.00
14	पौधों की कीमत	13121	पौध	3.00	प्रति पौध	39363.00
	कुल योगः–					638006.63

3–वनीकरण क्षेत्रों का विटिंगअप (10 प्रतिशत का विटिंग अप) – (तृतीय वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	पौध ढुलान	1312	पौध	16.00	प्रति पौध	20992.00
2	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण करना	1312	पौध	7.00	प्रति पौध	9184.00
3	शीतकालीन निराई,गुडाई,मल्चिंग तथा खाद मिलान	13121	पौध	2.52	प्रति पौध	33064.92
4	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	11.928	है0	3500	प्रति है0	41748.00
					योग	104988.92
5	ऊंचाई वृद्धि (+) 10%					10498.89
6	पौध की कीमत	1312	पौध	14.00	प्रति पौध	18368.00
7	गोबर की खाद का मूल्य/ढुलान सहित	13121	है0	3.00	प्रति पौध	39363.00
8	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	श्रमिक	915.20	प्रति माह	130998.07
	कुल योगः–					304216.88

Scanned with CamScanner

4–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (चतुर्थ वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	है0	915.20	प्रति माह	130998.07
2	शीतकालीन निराई,गुडाई,मल्चिंग तथा खाद मिलान	13121	पौध	2.91	प्रति पौध	38182.11
3	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	33000.00
	योगः–					202180.18

5–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (पंचम वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	है0	915.20	प्रति माह/है0	130998.07
3	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	33000.00
	योगः–					163998.07

6–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (छठा वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	है0	915.20	प्रति माह/है0	130998.07
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	33000.00
	योगः–					163998.07

7–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (सातवा वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	है0	915.20	प्रति माह/है0	130998.07
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	33000.00
	योगः–					163998.07

8–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (आठवा वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	है0	915.20	प्रति माह/है0	130998.07
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	33000.00
	योगः–					163998.07

Scanned with CamScanner

9–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (नवम वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	है0	915.20	प्रति माह/है0	130998.07
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	33000.00
	योगः–					163998.07

10–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (दसम वर्ष)

कंसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	11.928	है0	915.20	प्रति माह/है0	130998.07
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	33000.00
	योगः–					163998.07

सारांश

1	प्रथम वर्ष	1527909.82
2	द्वितीय वर्ष	638006.63
3	तृतीय वर्ष	304216.88
4	चतुर्थ वर्ष	202180.18
5	पंचम वर्ष	163998.07
6	छठवां वर्ष	163998.07
7	सातवां वर्ष	163998.07
8	आठवां वर्ष	163998.07
9	नवंम वर्ष	163998.07
10	दसवां वर्ष	163998.07
	योग	3656301.91
	या	3656301.00

भवदीय

जांच किया रूपये 3656301.00 मात्र
के लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ राजि।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244843 **E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com**

पत्रांक 66 /चार–प्रावि0/देवसारी पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2020–21, दिनांक 21 /05/2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

विषयः– **ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/20189/2016 नन्दकेशरी ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 08 से देवसारी मोटर मार्ग जो कि ग्वालदम नन्दकेशरी मोटर मार्ग ग्वालदम से किमी0 08 पर स्थित दमुथोल थोक से बनायी जानी प्रस्तावित है, जो कि ग्राम देवसारी के कुछ लोगों के द्वारा दमुथोल तोक से मोटर मार्ग से ग्राम सभा सरकोट के पानी–पीने के श्रोत्र के उपर से मोटर मार्ग के समरेखण व बॉज–बुरॉस, चीड़ के हरे पेड़ पौधो के काटे जाने से ग्रामवासियों के पानी–पीने के एकमात्र श्रोत को समाप्त होने से बचाने हेतु आपत्ति प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– ग्राम प्रधान सरकोट का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से प्रधान, ग्राम सभा सरकोट पो0ओ0 नन्दकेशरी, जनपद चमोली के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत नन्दकेशरी ग्वालदम मोटर मार्ग के किमी0 08 से देवसारी मोटर मार्ग को दमुथोल तोक से न बनाये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति पत्र आपको प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र में प्रधान, ग्राम सभा सरकोट द्वारा अवगत कराया गया है, कि ग्वालदम नन्दकेशरी मोटर मार्ग ग्वालदम से किमी0 08 पर स्थित दमुथोल थोक से बनायी जानी प्रस्तावित है। उक्त मार्ग ग्राम देवसारी के कुछ लोगों के द्वारा दमुथोल तोक से मोटर मार्ग से ग्राम सभा सरकोट के पानी–पीने के स्रोत के उपर से मोटर मार्ग के समरेखण व बॉज–बुरॉस, चीड़ के हरे पेड़ पौधो के काटे जाने से ग्रामवासियों के पानी–पीने के एकमात्र स्रोत को समाप्त होने से बचाने हेतु लिखा गया है। उक्त सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के स्वीकृत कोर नेटवर्क (2001 की जनगणना के अनुसार) में बसावट देवसारी (सेन्सेस कोड 165600, जनसंख्या 638) को संयोजित दिखाये जाने के कारण पूर्व में उक्त बसावट हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्ग प्रस्तावित नहीं किया गया। जिस कारण उक्त बसावट देवसारी को संयोजित किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा सरकोट से देवसारी मोटर मार्ग प्रस्तावित किया गया। जिस पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/41/2017/एफ0सी0/1782, दिनांक 26.11.2018 के द्वारा मार्ग निर्माण में प्रभावित वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की गई। विगत वर्ष भारत सरकार के दिशानिर्देशों के क्रम में बसावट देवसारी को कोर नेटवर्क संशोधन कर पी0एम0जी0एस0वाई0 से संयोजित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके पश्चात माह मार्च 2019 में नन्दकेशरी ग्वादलम मोटर मार्ग के किमी0 08 से देवसारी मोटर मार्ग (ल0 8.675 किमी0) के नाम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त मार्ग पर पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली द्वारा अपने पत्र संख्या 1580/36सी0, दि0 22.10.2019 द्वारा उक्त मार्ग के अभिलेख इस खण्ड को हस्तगत किये गये।

बिन्दु संख्या 1:– अवगत कराना है, कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उक्त मार्ग हेतु प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण किया जाना है। जिसके अनुसार पानी का स्रोत मार्ग के Alignment से लगभग 225 मी0 नीचे अवस्थित है, जिससे उक्त पानी के स्रोत को कटिंग से कोई खतरा नहीं है। स्रोत के ऊपर साईड पर Drainage line पर कलवर्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा डम्पिंग जोन का प्राविधान 300 मी0 दूरी पर किया गया है, जिससे उक्त पानी के स्रोत को खतरा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

बिन्दु संख्या 2:– ग्राम प्रधान सरकोट द्वारा शिकायती पत्र में दि0 18.02.2015 को दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि लोक निर्माण विभाग, थराली द्वारा अपने पत्र संख्या 1580/36सी0, दि0 22.10.2019 द्वारा सरकोट से देवसारी मोटर मार्ग के अभिलेख इस खण्ड को हस्तगत किया गया है, इसलिए प्रधान ग्राम सरकोट द्वारा उक्त तिथि से पूर्व के समस्त पत्राचार लोक निर्माण विभाग, थराली के साथ किये गये है। खण्ड के उपलब्ध अभिलेखानुसार दिनांक 18.12.2015 को ग्राम पंचायत सरकोट में ग्राम प्रधान सरकोट की अध्यक्षता में उपरोक्त स्वीकृत संरेखण हेतु सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर ही यह संरेखण स्वीकृत हुआ है। उक्त अनापत्ति पत्र दिनांक 18.02.2015 के पश्चात दी गयी है अतः दिनांक 18.02.2015 की आपत्ति स्वतः समाप्त हो जाती है।

क्रमशः.....2

Scanned with CamScanner

बिन्दु संख्या 3:– उक्त मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान सरकोट से देवसारी मोटर मार्ग हेतु स्वीकृत संरेखण के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की गई, किन्तु वर्तमान में प्रधान ग्राम सरकोट द्वारा ग्वालदम नन्दकेशरी मोटर मार्ग के किमी0 5 चिनाखेत (लाड़तोली) तोक से मार्ग निर्माण हेतु कहा जा रहा है, अवगत कराना है, कि वर्तमान में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो का पालन करते हुये एन0पी0बी0 इत्यादि का भुगतान किया जा चुका है तथा वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अनुबन्ध गठित भी किया जा चुका है। यदि वर्तमान में संरेखण परिवर्तित किया जाता है, तो नये समरेंखण से पूर्व की सभी स्वीकृतियां निरस्त होगी एवं नये समरेखण में मार्ग निर्माण के लिए डी0पी0आर0, एवं वनभूमि प्रस्ताव आदि की कार्यवाही पुनः की जायेगी। जिससे वनभूमि प्रस्ताव की स्वीकृति में लगभग 03 से 04 वर्ष का समय लग सकता है। जैसा कि विधित है, कि वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार **पी0एम0जी0एस0वाई0–1 बन्द कर दिया गया है**, जिस कारण अब बसावटों के संयोजन हेतु नये मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी, इसलिए अब संरेखण परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं है।

बिन्दु संख्या 4:– उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि प्रधान, ग्राम सरकोट के पूर्व शिकायती पत्र दिनांक 16.09.2019 के क्रम में खण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता, श्री प्रदीप पंवार, पिण्डर रेंज वन दरोगा ग्वालदम श्री एम0 एल0 धुनियाल, वीट सहायक श्री कैलाश चन्द्र भट्ट, ग्राम पंचायत सरकोट, एवं देवसारी के ग्रामीणों, जनप्रतिनिधि तथा प्रधान, ग्राम सरकोट की उपस्थिति में उक्त शिकायत पर संयुक्त संरेखण किया गया है। उक्त संयुक्त निरीक्षण में भी पूर्व स्वीकृति संरेखण के आधार पर बनाये जाने हेतु सहमति हुई थी उक्त निरीक्षण आख्या से स्पष्ट है, कि सड़क निर्माण से पानी की सप्लाई, स्रोत व चैम्बर क्षतिग्रस्त होने सम्भावना नहीं है, क्योंकि पानी का स्रोत सड़क समरेखण से दूर है, इसलिए पानी के आस–पास वृक्षों का भी पातन नहीं किया जायेगा। **(निरीक्षण आंख्या संलग्नक–1)।**

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है, कि उक्त विवाद के निस्तारण हेतु दिनांक 20.05.2020 को खण्ड के सहायक अभियन्ता, श्री सचिन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री प्रदीप पंवार एंव श्री नवीन जोशी, वनक्षेत्राधिकारी थराली, प्रधान ग्राम पंचायत सरकोट, प्रधान ग्राम पंचायत देवसारी, सदस्य क्षेत्र पंचायत देवसारी एवं ग्राम सरकोट व देवसारी के ग्रामीणों की उपस्थिति में मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण पर हो रहे विवाद के निदान हेतु मोटर मार्ग के संरेखण पर चल कर मोटर मार्ग, स्रोत की स्थिति एवं उसके बचाव हेतु क्या उपाय किये जा सकते है के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके पश्चात ग्राम सभा सरकोट में ही मा0 प्रमुख, विकासखण्ड देवाल की अध्यक्षता में दोनों ग्रामसभाओं की एक खुली बैठक की गई। उक्त बैठक में ग्राम सभा सरकोट को पूर्णरूप से आश्वस्त किया गया है कि स्रोत के ऊपर उक्त 100 से 150 मी0 की लम्बाई में पूर्ण ऐतिहाद के साथ कार्य करवाया जायेगा। उक्त लम्बाई में कार्य से पूर्व वायरक्रेट आदि का कार्य कर पहले स्रोत एवं पानी की योजना को सुरक्षित करने के उपाय कराये जायेगें, जिसके पश्चात ही उक्त 100 से 150 मी0 भाग पर कटिंग कार्य करवाया जायेगा। जिसके पश्चात ग्रामीणों द्वारा लिखित आश्वासन देते हुये यह निर्णय लिया गया कि दोनो ग्रामसभाओं द्वारा फिर उक्त मामले पर कोई विवाद नही किया जायेगा (बैठक की कार्यवाही एवं समाचार पत्र दि0 21.05.2020 की छायाप्रति संलग्नक–2)।

अतः उक्तानुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

21/5/2020

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1:– मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 उत्तराखण्ड देहरादून।
2:– मुख्य अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (गढ0क्षे0) देहरादून।
3:– अधीक्षण अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त गोपेश्वर (मु0 गौचर)।
4:– प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
5:– प्रमुख, क्षेत्र पंचायत देवाल, विकासखण्ड देवाल, जनपद चमोली।
6:– जिला पंचायत सदस्य, सवाड वार्ड़, विकासखण्ड देवाल, जनपद चमोली।
7:– क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत देवसारी विकासखण्ड देवाल, जनपद चमोली।
8:– प्रधान, ग्राम सभा सारकोट, पो0ओ0 नन्दकेशरी, जनपद चमोली।
9:– प्रधान, ग्राम सभा देवसारी, पो0ओ0 नन्दकेशरी, जनपद चमोली।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

Scanned with CamScanner

सलग्नक -1 (1)

~~आज दिनांक 16/07/2019 को आपके निर्देशानुसार माननीय विभाग संयुक्त निरीक्षण आरम्भ~~

आज दिनांक 16/07/2019 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के पत्र संख्या 994/12-1 दिनांक 09/07/2019 के अनुपालन में ग्राम प्रधान सरकोट के शिकायती पत्र के क्रम में नन्दकेशरी - ग्वालदम किलो० 8 से देवसारी मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें PMGSY लो०नि०वि० प्रभाग - 1 के कनिष्ठ अभियन्ता E प्रदीप पंवार, एम० एम० पिण्डर रेंज से वन दरोगा ग्वालदम श्री एम० एस० धुलियाल, वीर सहायक श्री कैलाश चन्द्र भट्ट व ग्राम पंचायत सरकोट, देवसारी के ग्रामीण, जनप्रतिनिधि व स्वयं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। प्रधान सरकोट द्वारा किए गए शिकायती पत्र ~~चारों बिन्दुओं~~ पर निरीक्षण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

1. ग्राम सभा सरकोट को सप्लाई किये जाने वाले पानी की लाइन स्रोत चैम्बर सड़क समरेखण से 225 मी० दूर पाया गया, जहाँ पर सड़क निर्माण के दौरान पानी की सप्लाई, स्रोत व चैम्बर को क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि पानी का स्रोत सड़क समरेखण से दूर है इसलिए स्रोत के आस-पास वृक्षों को लाने का कोई औचित्य नहीं है जिसमें स्वयं ग्रामीण साक्षी हैं।
2. सड़क से सम्बन्धित प्रभावित होने वाले सभी ग्राम पंचायतों के अनापत्ति के आधार पर ही सड़क समरेखण स्वीकृत है। स्वीकृत नहीं है।
3. यह समरेखण में पत्र प्राप्त नहीं है।
4. इस सम्बन्ध में पूर्व स्वीकृति समरेखण के आधार पर बनाई जायेगी, अतः सड़क गधेरे के 6 मी० पानी के स्रोत से 225 मी० ऊपर स्वीकृत है, जिसका निर्माण किया जायेगा। स्थान की पुलिया

J.E. PMGSY   वन दरोगा ग्वालदम   कैलाश चन्द्र भट्ट

संलग्नक-1 (ग)

1 - हरपाल सिंह

2 - पुष्पा ... ; आनन्द सिंह

... सिंह

... सिंह

वीरेन्द्र सिंह

लक्ष्मण सिंह

कृष्णा सिंह

गजेन्द्र सिंह

SUDARSHAN

Dinesh Bisht (Sarkut)

Darshan Singh

Pramod Tiwari (")

Vikram Singh — Vikram Singh

देवेन्द्र सिंह — देवेन्द्र

Tara Singh Parihar — देवपाल; देवपाल

... सिंह

... सिंह — Surendra

... सिंह

... सिंह

Sonu Bisht

प्रकाश सिंह

हरपाल सिंह

नरेन्द्र ...

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 2 (1)

सहमति पत्र

आज दि० 20/05/2020 को ग्राम पंचायत सरकोट एवं देवलाडी की एक संयुक्त बैठक ग्राम सभा सरकोट मे मा० प्रमुख जी की अध्यक्षता एवं दोनो ग्राम पंचायतों की मध्यस्थता मे की गयी, जिसमें पी०एम०जी०एस०वाई० ऊर्जप्रभाग सहायक अभियन्ता, जनियर अभियन्ता एवं वन क्षेत्राधिकारी - थराली ने भी प्रतिभाग किया बैठक मे देवलाडी मेहर मार्ग निर्माण पर सरकोट ग्राम सभा की तरफ से चल रहे विवाद पर वार्ता की गयी। सड़क निर्माण स्थल पर 225 मी० दूरी पर आ रहे पानी के स्रोत का स्थलीय निरीक्षण करने के ~~उपरान्त~~ उपरान्त सभी ग्रामीणों की उपस्थिति मे तय हुआ कि चालू स्रोत मे सुरक्षात्मक कार्य किये जायेगा और स्रोत को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुँचाया जायेगा, साथ ही जल जीवन मिशन योजना मे सरकोट गांव के लिए नई योजना की स्वीकृत अतिशीघ्र करायी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी मा० प्रमुख जी एवं मा० सदस्य जिला पंचायत जी द्वारा ली गयी। जिस पर समस्त सरकोट ग्राम सभा सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई। तथा उपरोक्त योजना (पानी की) को विकास खण्ड मे वरीयता / प्राथमिकता दी जायेगी। आज के बाद इस मुद्दे पर ~~दोनो~~ दोनो ग्राम सभा कोई विवाद नही करेंगे।

हस्ताक्षर उपस्थिति

(सरकोट)

(1) कृपालसिंह गडिया)

(2) नन्दावल्लभ जुगियाल (''

(3) किशनसिंह गडिया (प्र० प्रधान)

P.T.O.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(4) गोपालकोटे सिंह (पूर्व उपप्रधान) [illegible]

(5) [illegible]चन्द्र [illegible]

(6) [illegible] (पूर्व महिला मंगलदल अध्यक्ष) अंजना देवी

(7)- [illegible] [illegible] सावित्री देवी

(8) [illegible] [illegible] मुन्नी देवी

(9)- [illegible]

(10)- [illegible] धर्मानन्द

(11)- [illegible]

(12)- विमला देवी विमला देवी

(13)- रमा तिवाड़ी [illegible] रमा तिवाड़ी

(14) पार्वती देवी पार्वती देवी

(15)- मंजु परिहार (पूर्व क्षे०प०सदस्य) देवसारी/सरकोट — Mparihar

16 [illegible] हंसी देवी

17 ललित मोहन सिंह — [illegible]

(18) [illegible]

(19) [illegible]

(20) सुरेन्द्र पोहार (ग्राम पंचायत सदस्य सूना)

21. [illegible]

22. [illegible] [illegible]

23 [illegible]

24. [illegible] RO GPR

25. [illegible]

26— [illegible] 20-5-19

27— [illegible] J.E

28—

प्रधान ग्राम पंचायत देवसारी ह० [illegible] दि० 20/05/2020 वि०ख० देवाल (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] सुजीता देवी

(रमेश राम) [illegible]
सदस्य क्षेत्र पंचायत देवसारी
वि०ख०-देवाल, जिला-चमोली

[illegible] 20/05/2020 (स० [illegible]) PMGSY Karnprayag

[illegible] 20.5.20 (प्रमुख) क्षेत्र पंचायत देवाल

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सुरक्षात्मक कार्य

मोटर मार्ग पर आ रहे स्रोत के सुरक्षात्मक कार्यों का विवरण –

(1) पानी के स्रोत पर वायर क्रेट लगाकर सुरक्षात्मक कार्य किये जायेगे।

(2) वाटर स्टोरिंग टैंक (चेम्बर) बनाया जायेगा

(3) जानवरों के पानी पीने हेतु स्रोत के आस-पास चरी बनायी जायेगी।

स्रोत के उपरोक्त कार्यों की निगरानी गाँव की तरफ से श्री नन्दावल्लभ कुनियाल जी एवं कृपाल सिंह गड़िया जी द्वारा किया जायेगा

उपरोक्त समस्त कार्यों का क्रियान्वयन पी०एम० जी०एस वाई० कर्णप्रयाग (डिविजन) द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के दौरान किया जायेगा।

उक्त कार्यों के प्रस्ताव मा० प्रमुख जी० मा० सदस्य जिला पंचायत एवं दोनों ग्राम प्रधान एवं ग्राम वासियों की सहमति से हुयी है।

(1) सचिन कुमार (सहायक अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई० कर्णप्रयाग) 20/05/2020

(रमेश राम) सदस्य क्षेत्र पंचायत देवसारी वि०ख०-देवाल, [illegible]-चमोली

(2) नवीन चन्द्र (कनिष्ठ अभियन्ता पी०एम० जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग) 20-5-20

(3) प्रदीप सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] सुनीला देवी [illegible] वि० ख०-देवाल

(5) RO CARTHOW 20/5/2020

20-5-20

(4) आशा थपलियाल जि० पं० स० (देवाल वार्ड) देवाल

प्रधान ग्राम पंचायत देवसारी [illegible] वि०ख० देवाल (चमोली)

[illegible]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक-2 (IV)

देवसारी सड़क का पेयजल स्रोत विवाद सुलझा

■ थराली/एसएनबी।

ग्वालदमन्नंदकेशरी मोटर सड़क के किमी 8 से देवसारी गांव के लिए स्वीकृत सड़क पर पेयजल स्रोत को लेकर सरकोट के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा विवाद सुलझ गया है।

यातायात सुविधा से वंचित देवाल ब्लाक के देवसारी गांव को सड़क से जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई से करीब 8 किमी मार्ग को स्वीकृति मिली थी। सड़क निर्माण को भारत सरकार की वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद वन विभाग ने पेड़ों का छपान भी कर लिया है। इस बीच प्रस्तावित सड़क के किमी एक में पड़ रहे पानी के स्रोत को लेकर सरकोट के ग्रामीणों ने विवाद खड़ा कर दिया। इस पर देवाल के प्रमुख दर्शन दानू तथा जिला पंचायत सदस्य आशा धपोला ने हस्तक्षेप करते हुए प्रस्तावित सड़क पर देवसारी व सरकोट के ग्रामीणों के संग पीएमजीएसवाई तथा विभाग की संयुक्त बैठक की। इस दौरान पेयजल स्रोत का स्थलीय निरीक्षण करते हुए कहा गया है कि सड़क निर्माण से पानी के स्रोत को नुकसान नहीं होगा। सड़क निर्माण के दौरान कटिंग का मलवा नाले न डालने पर सहमति बनी। इस दौरान स्रोत के संरक्षण के साथ नई पेयजल योजना के निर्माण का भरोसा भी ग्रामीणों को दिया गया। बैठक में सरकोट के ग्रामीणों ने ब्लाक प्रमुख दर्शन दानू द्वारा स्रोत को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए जाने के आश्वासन पर सड़क निर्माण पर सहमति जताई। इसके साथ ही इस विवाद का भी पटाक्षेप हो गया। इसके बाद लिखित समझौता पत्र विभागों को सौंपा गया। इस दौरान प्रधान संघ अध्यक्ष राजेंद्र बिष्ट, देवसारी की प्रधान यशोदा देवी, सरकोट की प्रधान सुनीता तिवारी, क्षेपंस रमेश राम, उप प्रधान प्रदीप कठैत, सरपंच सुरेंद्र परिहार, वन क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह बिष्ट,वन दरोगा माखन लाल, पीएमजीएसवाई के सहायक अभियंता सचिन, अवर अभियंता नवीन जोशी, पंकज पंवार, देवसारी ममंद अध्यक्ष सुशीला देवी, सरकोट के पूर्व प्रधान कुंवर सिंह गड़िया, पूर्व उप प्रधान ललित बिष्ट, देवसारी-सरकोट के क्षेपंस हरेंद्र सिंह बिष्ट, मंजू परिहार आदि मौजूद रहे।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-2 (V)

चमोली जिला प्रशासन से मिली लेकर पहुंचा है। विगत 3 मई से अब पहुंचाया है। नकदी उपलब्ध करवाई। किया गया, नगर अध्यक्ष डा. हिमांशु

ग्रामीणों के साथ बैठक कर विवाद सुलझाया

उत्तर भारत लाइव ब्यूरो
uttarbharatlive.com

ग्वालदम। ग्वालदम-नंदकेसरी मोटर सड़क के किमी 8 से देवसारी गांवों के लिए स्वीकृत सड़क पर पेयजल स्रोत को लेकर सरकोट के ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे विवाद पर देवाल के ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य की पहल पर आयोजित बैठक में मामले को सुलझाने का प्रयास सफल रहा। इस मौके पर प्रमुख ने सड़क निर्माण के साथ ही पेयजल की समुचित व्यवस्था का आश्वासन दिया।

यातायात से वंचित देवाल ब्लाक के देवसारी गांवों को यातायात सुविधा से जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत करीब साढ़े आठ किमी सड़क की स्वीकृति मिली थी।इस सड़क निर्माण को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के बाद वन विभाग ने पेड़ों का छपान भी कर दिया है।

देवाल के ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में सरकोट के ग्रामीणों साथ हुई वार्ता

इस बीच प्रस्तावित सड़क के किमी एक में पड़ रहे पानी के एक स्रोत को लेकर पिछले लंबे समय से विवाद किया जा रहा है। जिस पर देवाल के ब्लाक प्रमुख दर्शन दानू,सवाड़ वार्ड की जिपंस आशा धपोला की पहल पर प्रस्तावित सड़क पर जंगल के बीच देवसारी व सरकोट के ग्रामीणों के अलावा पीएमजीएसवाई,वन विभाग आदि की एक संयुक्त बैठक की।

इस मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष गजेंद्र बिष्ट, देवसारी की प्रधान यशोदा देवी,सरकोट की प्रधान सुनिता तिवारी,क्षेपंस रमेश राम,उप प्रधान प्रदीप कठैत, सरपंच सुरेंद्र परिहार वन क्षेत्राधिकारी गोपाल सिंह बिष्ट,वन दरोगा माखन लाल,पीएमजीएसवाई के एई सचिन, जेई नवीन जोशी, पंकज पंवार, देवसारी की महिला अध्यक्ष सुशीला देवी,सरकोट के पूर्व प्रधान कुंवर सिंह गड़िया, पूर्व उप प्रधान ललित बिष्ट,देवसारी-सरकोट के क्षेपंस सुरेंद्र सिंह बिष्ट, मंगू परिहार आदि मौजूद थे।

सड़क निर्माण से स्रोत का नहीं होगा नुकसान

पेयजल स्रोत का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद प्रमुख, जिपंस सहित तमाम अधिकारी, कर्मियों आदि ने कहा की सड़क निर्माण से स्रोत को नुकसान नहीं होगा। सड़क निर्माण के दौरान कटिंग का मलुवा नाले में ना डालने की बात कही गई। इसके अलावा प्रमुख व जिपंस ने स्रोत के संरक्षक के साथ ही नई पेयजल योजना का निर्माण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद सरकोट गांवों में पुन: एक बैठक की गई जिसमें सरकोट के ग्रामीणों ने स्रोत को किसी तरह की क्षति ना पहुंचाने के प्रमुख के आश्वासन पर सड़क के निर्माण का विवाद सदा समाप्त हो गया। इस पर एक लिखित समझौता पत्र भी विभागों को सौंपा गया।

Scanned with CamScanner